Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) अपील / टी.ए. / 1129 / 2003 / दौसा

1. प्रेमचन्द पुत्र धन्नालाल (फोत) के का0मु0–
   1 / 1. शकुन्तला पत्नी स्व.राधेश्याम
   1 / 2. हरिओम पुत्र स्व.प्रेमचंद
   1 / 3. शिव कुमार पुत्र प्रेमचंद
   1 / 4. मुकेश पुत्र प्रेमचंद
   1 / 5. राकेश पुत्र स्व. प्रेमचंद
2. पार्वती बेवा रामस्वरूप
3. दिनेश पुत्र रामस्वरूप (फोत) के का.मु.–
   3 / 1. श्रीमती इन्द्रा पारीक बेवा दिनेश कुमार
   3 / 2. कपिल पारीक पुत्र दिनेश कुमार
4. उमा पुत्री रामस्वरूप
5. राधा पुत्री रामस्वरूप
6. हरिओम पुत्र प्रेमचन्द

सभी जाति ब्राहमण निवासी गढ हिम्मत सिंह तह0महुवा जिला दौसा

....अपीलांट्स

बनाम

1. चतरसिंह पुत्र किशनलाल
2. भरतलाल पुत्र किशनलाल
3. रामावतार पुत्र किशनलाल
4. रामदेई पुत्री किशनलाल
5. सूकी पुत्री किशनलाल
6. भूरिया पुत्री किशनलाल
7. छोटी बेवा किशनलाल
8. गुड्डी नाबालिग पुत्री किशनलाल जरिये वली माता छोटी
9. नर्बदा देवी पुत्री सूरजदेवी पत्नी मोहनलाल ब्राहमण

   समस्त निवासीगण गढ हिम्मतसिंह तह0महुवा जिला दौसा
10. चमेली देवी पुत्री मकूली जाति माली निवासी गढ हिम्मतसिंह हाल निवासी हरसाना तह0 लक्ष्मणगढ
11. छोटी पुत्री मकूली जाति माली निवासी हरसाना तह0लक्ष्मणगढ
12. सुगन पुत्र हरदेव
13. नारायण पुत्र हरदेव
14. रामसिंह पुत्र किशनलाल

15. मानसिंह पुत्र किशनलाल
    जाति माली निवासीगण गढ हिम्मतसिंह तह0महुवा जिला दौसा
16. लक्ष्मी पुत्री किशनलाल पत्नी अमरचंद जाति माली निवासी तसई तहसील कठूमर (अलवर)
17. रामपति पत्नी बनेसिंह पुत्री किशनलाल जाति माली निवासी मूंडपुरी तह0लक्ष्मणगढ जिला अलवर

.....रेस्पोडेन्ट्स

(2) अपील/टी.ए./1130/2003/दौसा

1. प्रेमचन्द पुत्र धन्नालाल (फोत) के का0मु0–
   1/1. शकुन्तला पत्नी स्व.राधेश्याम
   1/2. हरिओम पुत्र स्व.प्रेमचंद
   1/3. शिव कुमार पुत्र स्व.प्रेमचंद
   1/4. मुकेश पुत्र स्व.प्रेमचंद
   1/5. राकेश पुत्र स्व. प्रेमचंद
2. पार्वती बेवा रामस्वरूप
3. दिनेश पुत्र रामस्वरूप (फोत) के का.मु.–
   3/1. श्रीमती इन्द्रा पारीक बेवा दिनेश कुमार
   3/2. कपिल पारीक पुत्र दिनेश कुमार
4. उमा पुत्री रामस्वरूप
5. राधा पुत्री रामस्वरूप
6. हरिओम पुत्र प्रेमचन्द

   सभी जाति ब्राहमण निवासी गढ हिम्मत सिंह तह0महुवा जिला दौसा

....अपीलांट्स

बनाम

1. नर्बदा देवी पुत्री सूरजदेवी पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहमण नि.मु.पो. पाखर चौडा की तह0 महुवा
2. चमेली पुत्री मकूली पत्नी रामजीलाल
3. छोटी पुत्री मकूली पत्नी प्रभातीलाल

   जाति माली निवासी हरसाना तह0लक्ष्मणगढ जिला अलवर
4. सुगन पुत्र हरदेव
5. चतरसिंह पुत्र किशनलाल
6. भरतलाल पुत्र किशनलाल

7. रामदेही पुत्री किशनलाल
8. सुखी पुत्री किशनलाल
9. भूरया पुत्री किशनलाल
10. छोटी बेवा किशनलाल
11. गुड्डी पुत्री किशनलाल नाबालिग बविलायत माता स्वयं छोटी
12. रामसिंह पुत्र किशनलाल
13. मानसिंह पुत्र किशनलाल
    सभी जाति माली निवासीगण गढ हिम्मतसिंह तह0महुवा जिला दौसा
14. लक्ष्मी पुत्री किशनलाल पत्नी अमरचंद जाति माली निवासी तसई तहसील कठूमर जिला अलवर
15. रामपति पुत्री किशनलाल पत्नी बनेसिंह जाति माली निवासी तह0लक्ष्मणगढ ग्राम मूंडपुरी जिला अलवर

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
श्री खडग सिंह, अभिभाषक अपीलांट
श्री अयूब खां, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक 27.3.2018

निर्णय

उपरोक्त दोनों अपीलें भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर केम्प दौसा द्वारा अपील संख्या 85/2002 एवं 86/2002 में पारित निर्णय दिनांक 13–12–2002 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों अपीलों की विषय–वस्त, तथ्य समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादीगण सूरजदेवी आदि ने उप जिला कलक्टर महवा के न्यायालय में खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। इस वाद का प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत किया साथ ही काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19–7–2002 के द्वारा वादीगण को 3.76 हेक्टर का तथा प्रतिवादी प्रेमचंद को 0.98 हेक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। इसके साथ ही उभय पक्ष को एक दूसरे के पक्ष में घोषित भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा से भी प्रतिबंधित कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19–7–2002 के विरूद्ध दोनों पक्षकारान ने पृथक–पृथक अपीलें, अपील संख्या 85/2002 एवं 86/2002 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर केम्प दौसा के न्यायालय में प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 13–12–2002 द्वारा वादी अपीलांट की अपील को पूर्णतः तथा प्रतिवादी अपीलांट की अपील को अंशतः स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–7–2002 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 86/2002 एवं 85/2002 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 13–12–2002 के विरूद्ध अपीलांट पक्ष की ओर से क्रमशः अपील संख्या 1129/2003 एवं 1130/2003 इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई हैं।

4. दोनों पक्षों को सुना गया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

5. अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 13–12–2002 द्वारा प्रकरण को विचारण न्यायालय को वादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25–7–90 में यह अंकित है कि तनकियात कायम की जाकर पर्चा शामिल मिसल किया गया। वास्ते साक्ष्य

प्रतिवादी 6–9–90 को पेश हो और इसी आदेश में यह लिखा हुआ है कि वादी पक्ष की साक्ष्य बाद में ली जायेगी। ऐसी स्थिति में दिनांक 25–7–90 की आदेशिका के अनुसार वादी को साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायोचित था। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 13–12–2002 में यह अंकित है किया है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि वादी अपीलांट को साक्ष्य के लिये कहा गया हो तथा उसके द्वारा साक्ष्य से मना कर दिया गया हो। पीठासीन अधिकारी अथवा पक्षकार के वकील की चूक या असावधानी के लिए पक्षकार को दण्डित किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। इस प्रकार वादी/अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलना मानते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण को रिमाण्ड करने का जो आदेश दिया है, उसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय पूणर्तया विधि सम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

6. अतः उक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर केम्प दौसा द्वारा अपील संख्या 85/2002 एवं 86/2002 में पारित निर्णय दिनांक 13–12–2002 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य